न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

सन् 2023

अपील संख्या 12/23

GCMS NO-2023/98

बउनवानी:—1. दीनदयाल पुत्र श्री जगदीश माली निवासी चौथ का बरवाडा
2. राधेश्याम पुत्र श्री स्व0 श्री छोटूलाल माली नि0 चौथ का बरवाडा

बनाम

1. शम्भू पुत्र किशना माली निवासी चौथ का बरवाडा
2. मुरली पुत्र किशना माली निवासी चौथ का बरवाडा
3. सीताराम पुत्र किशना माली निवासी चौथ का बरवाडा
4. शंकर पुत्र हजारी माली निवासी चौथ का बरवाडा (मृतक)
   - 4/1. राजू सैनी पुत्र शंकर लाल माली
   - 4/2. रमेश सैनी पुत्र शंकर लाल माली
   - 4/3. नारायण सैनी पुत्र शंकर लाल माली
   - 4/4. सीता देवी पत्नि शंकर लाल माली समस्त नि0 सैनी धर्मशाला के पास चौथ का बरवाडा
   - 4/5. लाडदेवी पुत्री शंकर लाल माली पत्नि हुकम माली निवासी चौथ का बरवाडा हाल निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
   - 4/6. सोनिया पुत्री शंकर लाल माली पत्नि सुरज्ञान माली निवासी चौथ का बरवाडा हाल निवासी सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा
5. श्योजी पुत्र हरदेवा माली निवासी चौथ का बरवाडा (मृतक)
   - 5/1. रामपाल पुत्र श्योजी माली
   - 5/2. अजय पुत्र श्योजी माली
   - 5/3. कोशल्या पत्नि श्योजी माली
   - 5/4. चन्द्रकला पुत्री श्योजी माली
   - 5/5. मंजू पुत्री श्योजी माली समस्त नि0 सैनी धर्मशाला के पास चौथ का बरवाडा
6. सत्यनारायण पुत्र छोटया माली निवासी चौथ का बरवाडा
7. दामोदर पुत्र छोटया माली निवासी चौथ का बरवाडा
8. नाथू पुत्र पांच्या माली निवासी चौथ का बरवाडा
9. हनुमान पुत्र पांच्या माली निवासी चौथ का बरवाडा
10. रामदयाल पुत्र जगदीश माली निवासी चौथ का बरवाडा
11. सरकार जरिये नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1835 दिनांक 24.5.1986 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री विनोद कुमार अग्रवाल — वकील अपीलान्टगण
2. श्री भवंर सिंह जादौन — वकील रेस्पो0

—: निर्णय :— **दिनांक 25.2.2026**

अपील अपीलान्ट ने नाबय तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1835 दिनांक 24.5.1986 वाके ग्राम व तहसील चौथ का बरवाडा के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने से खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील अपीलान्ट सुनी गयी एवं रेस्पो.की लिखित बहस का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट ग्राम चौथ का बरवाडा के निवासी है तथा अपीलान्ट संख्या 10 अपीलान्ट का खास भाई है हमारे पिताजी जगदीश की मृत्यु हो चुकी है। अपीलान्ट एवं रेस्पो. के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी

.....(1).....

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

ख0न0 506 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख0न0 516 रकबा 19 बिस्वा, ख0न0 517 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा,ख0न0 794 रकबा 9 बिस्वा ख0न0 994 रकबा 8 बिस्वा ख0न0 1214 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1223 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1367 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 1587 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1233 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 1596 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम चौथ का बरवाड़ा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जो जगदीश पुत्र काना, गुलाब– लक्ष्या बैवा हरदेवा, शंकर पुत्र हजारी, पांच्या–छोट्या पिसरान छीतर, किशना पुत्र बाल्या, जगदीश पिसराम मु० चौथमल माली के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी में दर्ज रही है कि जिसे बजमाने बुजुर्गान से इसी तरह संयुक्त रूप से सभी अपीलाण्ट व रेस्पोंडेंटगण काश्त कर उपज आपस में बांटते चले आ रहे है व लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। उक्त आराजीयात आज भी संयुक्त रूप से ही काश्त हो रही है, जिन्हें सुविधा अनुसार व आवश्यकतानुसार अपीलाण्ट व रेस्पोंडेंट काश्त करते हैं व अपने परिवार को पालते है। खातेदार जगदीश, किशुना, लक्ष्मा व गुलाब व पांच्या की मृत्यु हो चुकी है, जिनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया। दिनांक 09/07/2023 की बात है कि रेस्पोंडेंट नाथू व हनुमान ने मौके पर अपीलाण्ट को बताया कि उसके बुजुर्ग ने चालाकी बरतकर व बिना अन्य रेस्पोडेंटों के बुजुर्गों को सूचित किये बिना विवादित आराजी दर्ज अपील मद नं. 2 का हिस्सा 16 बीघा 10 बिस्वा अपने नाम करवा लिया है एवं अब वह अपीलाण्ट व दीगर रेस्पोडेंट को बराबर हिस्से पर काश्त नहीं करने देगा तो अपीलाण्ट को घोर आश्चर्य हुआ। अपीलाण्ट ने तुरन्त रेवेन्यू रिकॉर्ड तलाश करके नामान्तरकरण संख्या 1835 को तलाश कर नकल की दरख्वास्त लगाई, जिसकी नकल मिलने पर दिनांक 11/07/2023 को अपीलाण्ट को सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेंट नाथू व हनुमान के पिता पांच्या पुत्र छीतर माली ने फर्जीयत रचकर व नायब तहसीलदार से मिलकर दीगर रेस्पोडेंटगणों के पिताओं से छुपाकर विवादित नामान्तरकरण खुलवा लिया है, जबकि सभी खातेदारान का विवादित आराजीयात में समान हिस्सा व कब्जा रहा है।

उक्त आदेश नायब तहसीलदार ने मिलीभगत से गलत तस्दीक किया गया है। नामान्तरकरण के जरिये पांच्या पुत्र छीतर माली को 16 बीघा 10 बिस्वा, सत्यनारायण–दामोदर पुत्रान छोट्या माली को महज 14 बिस्वा, लक्ष्मा–गुलाब बेवा हरदेवा माली को 19 बिस्वा, शंकर पुत्र हजारी माली को 19 बिस्वा, किशना पुत्र बाल्या माली को 18 बिस्वा, जगदीश को 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि देकर बंटवारे का नामान्तरकरण खोला गया है, जो विधि विरुद्ध है। जब रिकॉर्ड में सभी खातेदारान का कब्जा व हिस्सा बराबर दर्ज है तो एक खातेदार को बहुत ज्यादा व दीगर खातेदारान को तुच्छ भूमि कैसे दी जा सकती है। तकासमा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स होता है। यह तकासमा नहीं होकर सम्पूर्ण भूमि हड़पने की चाल है कि जिसके जरिये अपीलाण्ट का हक व हिस्से की भूमि को हड़पने का प्रयास किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 1835 के कॉलम संख्या 14 व 16 में आदेश श्रीमान् उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा का हवाला दिया गया है, जबकि अपीलाण्ट क काफी तलाश करने व लाख प्रयासों के उपरान्त भी ऐसा कोई आदेश वर्ष 1986 में हुआ हो, अपीलाण्ट को प्राप्त नहीं हो सका है। जिससे साबित होता है कि पांच्या ने नायब तहसीलदार साहब से मिलकर फर्जीयत रचकर बिना किसी न्यायालय के आदेश के फर्जी तरीके से उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा का आदेश बताकर नामान्तरकरण जैरे अपील तस्दीक किया है जो विधि विरुद्ध है। नामान्तरकरण जैरे अपील का अपीलाण्ट को कोई इल्म नहीं था। इस नामान्तरकरण को तस्दीक करने से पहले दीगर खातेदारान को कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना ही दीगर सह–खातेदारान इस हेतु कभी सहमत पक्ष रहे हैं, ना ही दीगर सह–खातेदारान ने इस हेतु कभी अपनी सहमति दी है, अगर ऐसी कोई सहमति पांच्या के वारिसान बताते हैं तो वह फर्जी व बनावटी है। नामान्तरकरण जैरे अपील व आदेश नायब तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा इल्लीगल, इम्प्रोपर व विदाउट ज्यूरिडिक्शन होने से निरस्त होने योग्य है। नामान्तरकरण जैरे अपील का अपीलाण्ट को कोई इल्म नहीं था। दिनांक 09/07/2023 को मृतक पांच्या के वारिसान रेस्पोडेंट नाथू व हनुमान के बताने पर सर्वप्रथम इल्म हुआ। लिहाजा बयोम इल्म से यह अपील अन्दरम्याद पेश है एवं अपील पेश करने में हुई डिले दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत कन्डोन किये जाने योग्य है। वैसे असंवैधानिक व विधि विरुद्ध आदेशों को कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश नायब तहसीलदार महोदय, चौथ का बरवाड़ा दिनांक 24/05/1986 व उसके अनुसरण में तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 1835 को निरस्त फरमाया जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

.....(2).....

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान वकील रेस्पो. संख्या 9 की ओर प्रस्तुत लिखित बहस मे अंकित किया कि अपीलांट दीनदयाल ने माननीय न्यायालय को धोखाधड़ी कर अपने सजरा खानदान की सही जानकारी नहीं दी है ना ही अपील में सजरा खानदान पेश किया है। अपीलांट दीनदयाल ने जानबूझ कर रेस्पोडेन्ट नम्बर एक लगायत तीन की बहिन व किशना की पुत्री संतरा को जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया है। जबकि वह बाल्या की पोत्री व किशना की पुत्री होने से उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। तथा अपीलांट दीनदयाल ने रेस्पोडेन्ट नम्बर चार शंकर की बहिन कमला को उपरोक्त प्रकरण में जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया है। तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 श्योजी की बहिन सुशीला पुत्री हरदेवा व हूरा पुत्री हरदेवा को उपरोक्त प्रकरण में जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया है। तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 6 व 7 के सगे भाई राधेश्याम पुत्र छोट्या को उपरोक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। तथा अपीलांट दीनदयाल ने अपनी सगी बहनो मधु, रामबाई, धापू, अनोख, हरबाई, संती, अनीता पुत्रीया जगदीश को जानबूझ कर उपरोक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। तथा सभी व्यक्ति रेस्पोडेन्ट नम्बर 9 हनुमान के पिता पांच्या के सहखातेदारो के विधिक वारिसान है तथा उनको पक्षकार बनाये बिना उपरोक्त अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपील के मद नम्बर दो में वर्णित कृषि भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नम्बर एक लगायत दस की शामलाती नहीं है। तथा नामान्तरकरण संख्या 1835 दिनांक 24.5.1986 तथा न्यायालय उपजिलाधीश सवाई माधोपुर के बँटवारा आदेश दिनांक 14.3.1986 के बाद से ही सभी सहखातेदार नामान्तरकरण संख्या 1835 दिनांक 24.5.1986 के अनुसार बँटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं। अतः लिखित बहस रेस्पोडेन्ट नम्बर 9 हनुमान पुत्र पाच्य निवासी की ओर से लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि लिखित बहस में वर्णित आधारों पर अपीलांट की अपील खारिज करने

विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया तथा रेस्पो. की लिखित बहस एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट के अनुसार आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 1835 मे सभी सहखातेदारान को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए जो नही मिला तथा अपीलान्ट संख्या 2 का नाम उक्त नामा0 मे दर्ज ही नही किया गया है। इसलिए नामा0 खारिज किया जाकर पुनः सभी को बराबर हिस्सा का नामा0 दर्ज करवाया जावे। वकील रेस्पो. के अनुसार अपील मे सभी खातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया है इसलिए अपील खारिज फरमायी जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार यथा मूल नामा0 संख्या 1835 के कॉलम संख्या 14 व 16 में अंकित तथ्यों का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त नामा0 उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के विभाजन आदेश की पालना मे दर्ज फैसल किया गया है तथा उक्त आदेश नामा0 संख्या 1835 का मुख्य आधार है। यदि उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के विभाजन आदेश मे सभी पक्षकारान को बराबर हिस्सा नही मिला है तो प्रभावित पक्षकारान एवं अपीलान्ट को उक्त आदेश को समक्ष न्यायालय मे चुनौती दी जाकर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। चूंकि उक्त नामा0 न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश की पालना मे दर्ज फैसल किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रूटि नही है यदि त्रुटि कोई रही है तो उक्त विभाजन आदेश मे रही है। ऐसी स्थिति मे विधिसम्मत पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

अतःउपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्राावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25..2.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner